भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2874

जिसका उत्तर 15 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

24 अग्रहायण, 1943 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केंद्र

2874. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार राज्य के छोटे शहरों में चालू वित्तीय वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केंद्र विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहन देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): जी, हां। भारत सरकार ने बिहार राज्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आईटी/आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

(ख): अब तक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था, भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) ने देश भर में 60 एसटीपीआई केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 52 केंद्र आईटी आईटीईएस उद्योग के बढ़ावा के लिए टियर II/III शहरों में हैं। इसमें बिहार में पटना (पाटलिपुत्र) में एक एसटीपीआई केंद्र शामिल है। सरकार ने बिहार के लिए दरभंगा और भागलपुर में दो नए एसटीपीआई केंद्रों को भी मंजूरी दी है। पटना (पाटलिपुत्र) में एसटीपीआई केंद्र को 1 लाख वर्ग फुट जगह के अतिरिक्त प्रावधान के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है।

इसके अलावा, आईटी/आईटीईएस उद्योग में विशेष रूप से टियर II / टियर III शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, सरकार भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना (आईबीपीएस) लागू कर रही है। इस योजना के तहत बीपीओ आईटी/आईटीईएस संचालन की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। बिहार में 12 बीपीओ इकाइयों ने बीपीओ/आईटीईएस संचालन शुरू कर दिया है, जबकि लगभग 1345 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (एनपीएसपी) - 2019 को सरकार द्वारा देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। एनपीएसपी के अनुसार, सरकार ने बिहार के पटना में इनक्यूबेशन सुविधा सहित 12 टियर II/III एसटीपीआई केंद्रों में सॉफ्टवेयर उत्पाद ऊष्मायन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 95.03 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अगली पीढ़ी की ऊष्मायन योजना (एनजीआईएस) को मंजूरी दी है।।

(ग): मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, लागू कानूनों/विनियमों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत आईटी क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। वित्त वर्ष 2018-2021 के दौरान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कुल 2,93,838 करोड़ रु. और सितंबर, 2021 तक चालू वित्त वर्ष में 52,634 करोड़ रु एफडीआई की प्रतिबद्धता जताई गई है।

****